बिहार सरकार
गृह विभाग ।

अधिसूचना

संख्या 325/ भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल राज्य के प्रोबेशन निदेशालय एवं प्रोबेशन कार्यालयों के लिपिकीय संवर्ग में भर्त्ती एवं सेवा शर्त्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

"बिहार प्रोबेशन लिपिकीय संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवाशर्त्तें) नियमावली, 2014" ।

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ** ।– (1) यह नियमावली "बिहार प्रोबेशन लिपिकीय संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवाशर्त्तें) नियमावली, 2014" कही जा सकेगी।

   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

   (3) यह तुरन्त के प्रभाव से प्रवृत्त होगी ।

2. **परिभाषाएँ** ।– इस नियमावली में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो:–

   (i) 'संवर्ग" से अभिप्रेत है प्रोबेशन निदेशालय सहित प्रोबेशन कार्यालयों के लिपिकीय संवर्ग;

   (ii) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग;

   (iii) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार;

   (iv) "समूह "घ" के नियमित नियुक्त कार्मिक" से अभिप्रेत है समूह "घ" के वैसे कार्मिक जिनकी सेवा सम्पुष्टि की जा चुकी हो; तथा

   (v) "सदस्य" से अभिप्रेत है संवर्ग में नियुक्त कोई व्यक्ति तथा इसमें इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से नियमित रूप से नियुक्त सभी व्यक्ति शामिल हैं ।

3. **संवर्ग की संरचना** ।– (1) लिपिकीय संवर्ग की संवर्ग संरचना निम्नवत् होगी–

(i) निम्नवर्गीय लिपिक	– मूल कोटि
(ii) उच्चवर्गीय लिपिक	– प्रथम प्रोन्नति स्तर
(iii) प्रधान लिपिक	– द्वितीय प्रोन्नति स्तर

   (2) संवर्ग का प्राधिकृत बल, पदों की संख्या एवं वेतनमान वही होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाएगी और जो समय–समय पर प्रशासनिक हित में किसी पद का अंतःस्थापन या विलोपन या अन्यथा द्वारा स्वतः पुनरीक्षित या उपांतरित समझी जाएगी ।

4. **संवर्ग बल** ।– (1) संवर्ग बल ऐसा होगा जो प्रोबेशन प्रभाग, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग द्वारा समय–समय पर सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग के परामर्श के पश्चात् अवधारित किया जाय ।

   (2) उक्त संवर्ग के सदस्यों पर परिचालनात्मक नियंत्रण महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार का होगा।

5. **भर्त्ती** ।– (1) निम्नवर्गीय लिपिक का 85 प्रतिशत पद सीधी भर्त्ती से भरा जाएगा और 15 प्रतिशत पद प्रोबेशन निदेशालय एवं प्रोबेशन कार्यालयों में कार्यरत् समूह "घ" के वैसे सुयोग्य कर्मियों से वरीयता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा जो निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति की अर्हता रखते हों ।

   (2) सभी सीधी भर्त्तियाँ आयोग की अनुशंसा पर निम्नवर्गीय लिपिक की कोटि में की जाएगी ।

   (3) नियुक्ति प्राधिकार प्रत्येक वर्ष की 1ली अप्रैल के आधार पर रिक्तियों की गणना करेगा और 30 अप्रैल तक आयोग को अधियाचना भेज देगा ।

(4) आयोग रिक्तियों को विज्ञापित करेगा और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन करने के बाद नियुक्ति प्राधिकार को मेधाक्रम में अभ्यर्थियों के नामों की अनुशंसा करेगा। मेधासूची की वैधता अनुशंसा प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष तक रहेगी।

6. **अर्हता** :– (1) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण के ज्ञान के साथ इण्टरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या उसके समकक्ष होगी ।

(2) भर्त्ती के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र–सीमा वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाय ।

7. **आरक्षण** ।– भर्त्ती एवं प्रोन्नति में, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित आरक्षण/रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा ।

8. **प्रोन्नति द्वारा भर्त्ती** ।– (i) नियुक्ति प्राधिकार इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण समूह ''घ'' कर्मचारियों की वरीयता सूची तैयार करेगा ।

(ii) प्रोन्नति वरीयतानुसार विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जायेगी ।

9. **परिवीक्षा** ।– प्रत्येक भर्त्ती परिवीक्षा पर दो वर्ष के लिए होगी परन्तु परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं रहने पर विशेष परिस्थितियों में इसका विस्तार एक वर्ष तक के लिए नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जा सकेगा। ऐसा अवधि विस्तार तभी होगा जब नियुक्ति प्राधिकार की राय में परिवीक्षाधीन व्यक्ति में सुधार की कोई गुंजाइश हो । यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति को बिना सूचना सेवामुक्त किया जा सकेगा ।

10. **विभागीय परीक्षा** ।– (1) विभागीय परीक्षा राजस्व पर्षद द्वारा संचालित की जाएगी ।

(2) विभागीय परीक्षा में दो पत्र होंगे और प्रत्येक पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

(क) <u>प्रथम पत्र–</u>

<u>सेवा नियमावली</u>– बिहार सेवा संहिता, पेंशन नियमावली, वरीयता एवं प्रोन्नति के विधि, टिप्पणी एवं प्रारूपण।

(ख) <u>द्वितीय पत्र–</u>

<u>वित्तीय नियमावली</u>– कोषागार संहिता, वित्तीय नियमावली, प्रैक्टिस एंड प्रोसिडियोर, बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली, सामान्य भविष्य निधि नियमावली, यात्रा भत्ता नियमावली, बीमा नियमावली।

11. **सम्पुष्टि** ।– कोई परिवीक्षाधीन व्यक्ति परिवीक्षा अवधि की संतोषजनक समाप्ति, विभागीय परीक्षा एवं कम्प्यूटर दक्षता जाँच परीक्षा की उत्तीर्णता के बाद समपुष्ट किया जाएगा।

12. **वरीयता** ।– संवर्ग के सदस्य की आपसी वरीयता आयोग द्वारा विनिश्चित उनकी मेधा स्थिति के अनुसार होगी;

परन्तु इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व विनिश्चित उनकी वरीयता अपरिवर्तनीय रहेगी:

परन्तु और कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति उन व्यक्तियों से कनीय होंगे जो संबंधित भर्त्ती वर्षों में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त किए गए हों :

परन्तु और भी कि किसी भर्त्ती वर्ष में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति संबंधित भर्त्ती वर्ष में प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्त व्यक्ति से वरीय होंगे।

13. **प्रोन्नति** ।– (1) मूल कोटि से उच्चत्तर कोटि में प्रोन्नति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित कालावधि के पूरा होने पर और विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जा सकेगी।

(2) विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा किया जायेगा ।

14. **संवर्ग का स्तर** ।– यह संवर्ग राज्य स्तरीय होगा और स्थानान्तरण एवं पदस्थापन करने की शक्ति महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, गृह विभाग, बिहार, पटना में निहित होगी ।

15. **अवशिष्ट मामले** ।– ऐसे मामलों के संबंध में जो इस नियमावली द्वारा विशिष्ट रूप से आच्छादित नहीं हैं, संवर्गों के सदस्य राज्य सरकार के समुचित स्तर के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के लिए लागू नियमावली, विनियमावली या आदेशों से शासित होंगे ।

16. कठिनाईयों का निराकरण ।– सरकार (कारा एवं सुधार सेवाएँ, गृह विभाग) समय–समय पर ऐसा सामान्य या विशेष निदेश, जो इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो, विधि विभाग के परामर्श के पश्चात् इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक हो, जारी कर सकेगी ।

17. निर्वचन ।– जहाँ इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो वहाँ मामला कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग द्वारा विधि विभाग के परामर्श के पश्चात् विनिश्चित किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा ।

18. निरसन एवं व्यावृत्ति ।– (1) इस संवर्ग के संबंध में पूर्व में निर्गत सभी संकल्प एवं अनुदेश एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं ।

(2) ऐसा निरसन के होते हुए भी, ऐसे संकल्प अनुदेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया या की गई समझी जाएगी मानों यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी जिस दिन ऐसा कार्य या कार्रवाई की गई थी ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

10/11/14

अपर सचिव–सह–निदेशक (प्र0)

ज्ञापांक– कारा/प्रो0 (स्था0)–10–26/14 325 दिनांक 10/11/2014

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में (सी0डी0 सहित) प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

उन्हें निदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को प्रकाशित करते हुए 200 (दो सौ) प्रतियाँ विभाग को शीघ्र उपलब्ध करायी जाय ।

10/11/14

अपर सचिव–सह–निदेशक (प्र0)

ज्ञापांक– कारा/प्रो0 (स्था0)–10–26/14 325 दिनांक 10/11/2014

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

10/11/14

अपर सचिव–सह–निदेशक (प्र0)

ज्ञापांक– कारा/प्रो0 (स्था0)–10–26/14 325 दिनांक 10/11/2014

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग/विधि विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

10/11/14

अपर सचिव–सह–निदेशक (प्र0)

ज्ञापांक– कारा/प्रो0 (स्था0)–10–26/14 325 दिनांक 10/11/2014

प्रतिलिपि– महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ/निदेशक, प्रोबेशन चर्या/सभी उप निदेशक, (प्रोबेशन)/सभी प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी/सभी प्रोबेशन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

10/11/14

अपर सचिव–सह–निदेशक (प्र0)